



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15156

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1876 वर्ष 2026

शीला

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक के अधिवक्ता:

संतोष कुमार तिवारी

विपक्षी के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता, काली शंकर तिवारी

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार तिवारी, मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता श्री काली शंकर तिवारी एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया।
3. आवेदक विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना- पनियरा, जिला- महाराजगंज में मुकदमा अपराध संख्या 416 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 190, 191(2), 191(3), 103(1), 351(3), 352, 333, 115(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) के तहत जमानत की मांग कर रही है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। आवेदक सहित सात अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध सामान्य और सर्वव्यापी (general and omnibus) आरोप हैं।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि मृतक व्यक्ति को घातक चोट पहुंचाने की भूमिका सह-अभियुक्त उपेंद्र कुमार को सौंपी गई है। मृतक व्यक्ति को केवल एक ही चोट आई थी, जो उसके लिए घातक सिद्ध हुई। इस प्रकार, आवेदक का मामला सह-अभियुक्त उपेंद्र कुमार के मामले से भिन्न आधार पर है।
6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 27.11.2025 से जेल में निरुद्ध है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है।
8. "जब तक दोष सिद्ध न हो जाए तब तक निर्दोष होने की उपधारणा" का सुप्रसिद्ध सिद्धांत, एक नियम के रूप में जमानत और अपवाद के रूप में कारावास की अवधारणा को जन्म देता है।
9. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता क्योंकि उस व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप है, जब तक कि दोष संदेह से परे स्थापित न हो जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तब तक नहीं छीना जा सकता जब तक कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन न किया जाए, और प्रक्रिया न्यायपूर्ण और उचित होनी चाहिए। उक्त सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय द्वारा सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, (2022) 10 SCC 51 में दोहराया गया है।
10. उपरोक्त दृष्टिकोण को दोहराते हुए, उच्चतम न्यायालय ने मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 INSC 595 के मामले में फिर से इस बात पर जोर दिया है कि कानून के इस सुस्थापित सिद्धांत को नहीं भुलाया जाना चाहिए कि दंड के रूप में जमानत को नहीं रोका जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि न्यायालयों को इस सिद्धांत को मान्यता देनी चाहिए कि "जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है"।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ऐसी किसी भी असाधारण परिस्थिति को सामने नहीं ला सके जो आवेदक को जमानत देने से इनकार करने का वारंट करती हो।
12. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करते हुए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक सहित सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध सामान्य और सर्वव्यापी आरोप हैं तथा मृतक को घातक चोट पहुंचाने की भूमिका अन्य अभियुक्त को सौंपी गई है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का यह मत है कि आवेदक जमानत के लिए आधार बनाने में सफल रही है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
13. उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक- शीला को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाए। (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी। (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगी। (iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी।
14. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
15. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति)

जनवरी 21, 2026

विकास वर्मा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।